ness Advisory Committee presented to the House on the 22nd January, 1976."

MR. SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Fifty-eighth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 22nd January, 1976."

The motion was adopted.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (NAGALAND), 1975-76

THE MINISTER OF STATE INCHARGE OF THE DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): I beg to present a statement showing Supplementary Demands for Grants in respect of Nagaland for the year 1975-76.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (PONDICHERRY), 1975-76

THE MINISTER OF STATE INCHARGE OF THE DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): I beg to present a statement showing Supplementary Demands for Grants in respect of the Union Territory of Pondicherry for the year 1975-76.

12.05 hrs.

PRESS COUNCIL (REPEAL) BILL*

THE MINISTER OF STATE OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): I beg to move for leave to introduce a Bill to repeal the Press Council Act, 1965, and to provide for certain matters incidental thereto.

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to repeal the Press Council Act, 1965, and to provide for certain matters incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Sir, I introduce the Bill.

STATEMENT *RE*. PRESS COUNCIL (REPEAL) ORDINANCE

THE MINISTER OF STATE OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): I beg to lay on the Table an explanatory statement (Hindi and English versions) giving reasons for immediate legislation by the Press Council (Repeal) Ordinance, 1975.

12.06 hrs.

INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI KAMLAPATI TRIPATHI): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Indian Railways Act, 1890, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration,"

The Bill seeks to replace the Indian Railways (Amendment) Ordinance, 1975, which was promulgated by the President on the 25th September, 1975.

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 23-1-76.

[Shri Kamlapati Tripathi]

Experience has shown that at times and in certain areas, goods are not promptly unloaded from the railway wagons and are not promptly removed from the goods-sheds. There is a tendency on the part of the traders to use railway wagons and goods-sheds as warehouses. The congestion in goods-sheds results in detention to wagons in the yards. The congestion in the serving yard further sets in motion a chain reaction of hold-up of loaded wagons *en-route and* restrictions on fresh bookings. Moreover, and more important, non-removal or slow removal of goods from stations may also result in scarcity of those goods in the market. Unsocial elements try to create such an artificial scarcity. This House has expressed concern in the past about such accumulation of goods and wagons at important rail terminals.

The normal procedure for disposal of unclaimed goods is laid down in section 56Y read with section 55(2) of the Indian Railways Act. Compliance of procedure laid down in these sections is time consuming and takes at least 4 to 6 weeks before goods can be auctioned. The existing law also does not empower the administration to dispose of goods, even the essential commodities, otherwise than by public auction.

The Bill now gives powers to the Central Government to notify certain stations where goods can be disposed of more speedily, if the same are not removed within seven days after termination of transit. The Bill contains adequate safeguards to protect the interest of genuine trade. Special provision has been made in respect of essential commodities. If any essential commodities remain undelivered for more than seven days after termination of transit, the Central Government or the State Government can direct the railway administration to transfer them to it or to such agency, cooperative society or other person uneder its control on payment of fair-price. The owner of the goods is entitled to receive the price or sale proceeds of such goods after payment of charges due to the railway administration.

The scheme does not hamper normal trade in any way and is in the best public interest. The special procedure laid down in the Bill does not apply to all stations, but only to few notified stations. At present, only 14 stations have been notified. The powers conferred by the Bill would be invoked only to deal with abnormal situations when the wagons are misused by some persons as godowns.

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Indian Railways Act, 1890, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

श्री रामवातार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, भारतीय रेलवे कानून, 1890 में संशोधन करने पर यह सदन विचार कर रहा है। यह विधेयक सही दिशा की ओर इंगित कर रहा है और इसमें जो बाते कही गई हैं, वे मोटी–मोटी ठीक हैं। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछ बातो की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इस विधेयक मे यह कहा गया है कि अगर कोई व्यवसायी अपने माल को 7 दिन तक छुडा कर नही ले जायेगा, तो रेलवे को उसे नीलाम करने का अधिकार होगा। यह बिल्कुल ठीक है। इसमे यह भी कहा गया है कि नीलाम करने की एक तिथि निर्धारित की जायेगी और वह तिथि 7 दिन के बाद होगी। अगर इस बीच मे माल का माकिल माल छुडाने के लिये पहुंच जायेगा, तो तमाम चार्जिज लेकर उसको वह माल दे दिया जायेगा। इस विधेयक में इस बात की व्यवस्था नही की गई है कि नीलामक रने से पहले की अवधि में जो माल पड़ा रह जायेगा,

उसका डैमरेज लिया जायेगा या नही। मैं तो यह चाहता हूं कि अगर कोई मुनाफा खोर 7 दिन तक खाने पीने का समान, कपड़ा, खाद्यान्न, प्याज आदि आवश्यक वस्तुओं को नही लेता है, तो फिर वे चीजें उसको नहीं दी जानी चाहिये। लेकिन अगर सरकार यहा तक जाने के लिये तैयार नही है, तो कम-से-कम उस से डैमरेज तो वसूल करना ही चाहिये। वास्तव में होना तो यह चाहिये कि 7 दिन के बाद वह माल मुनाफाखोर को न दिया जाये।

आखिर कौन लोग इस नरह अपने माल को वैगन्म मे छोड देते है ? जो ज्यादा पैमे वाले, बडे-बडे व्यापारी और मुनाफाखोर हैं। कलकत्ता मे पूजा के समय कपड़ा, कडवा तेल और दूसरी चीजो की कीमतें बहुत बढ जाती हैं। पिछले कुछ महीनों से पूरे हिन्दुस्तान में प्याज की कीमत बहुत बढी हुई है। दिल्ली मे वह इस समय 3, 3½ रुपये के भाव से बिक रहा है। उसकी कीमत 5 रुपये किलो तक चली गई थी। सेब की कीमत तो कम है और प्याज की ज्यादा ये बडे बडे मुनाफा खोर रेलवे के अधिकारियों से दोस्ती कर के, उनको कुछ ले देकर अपना माल वैगन्स में रख देते हैं, जिसका असर महगाई के रुप से आम जनता पर पड़ता है। सरकार का ध्यान इस ओर गया है, लेकिन इस बात की आवश्यकता है कि इस बारे मे सख्ती से कार्यवाही की जाये, ताकि त्योहारों के समय चीजो की बनावटी कमी को रोका जा सके। यह भी देखना चाहिये कि नीलाम करने की जवाबदेही जिन अधिकारियों पर हो, वे ईमानदार हों। हम जानते हैं कि अधिकारियों मे अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग हैं। जो अधिकारी भ्रष्ट तरीके इस्तेमाल करते हैं और मजदूरों से सहयोग करने के लिये तैयार नही हैं, उनके पीछे लट्ठ लेकर पड़े रहते हैं, उनको यह जवाब देही न दी जाये। इस विधेयक के अनुसार, वे अधिकारी भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधियो तथा जिला मजिस्ट्रेट को नीलाम के बारे में सूचना देंगे। यह बात समझ में नही आती कि इन तीनों का को-आर्डिनेशन कैसे होगा। इसमे कहा गया है कि तीनों मिलकर इस तरह को-आर्डिनेशन करें कि सामान की ठीक मे बिक्री हो सके और उसकी ठीक कीमत मिले। हम चाहेंगे कि मंत्री महोदय इस बारे में सफाई दें कि इन तीनों का को-आर्डिनेशन किस प्रकार होगा ?

इस विधेयक मे किसी सजा का प्रावधान नही किया गया है। मान लीजिये कि रेलवे एडवरटाइजमेंट देती है और रजिस्ट्री के द्वारा खबर भी देती है कि अमुक व्यक्ति का माल पडा हुआ है, वह उसको ले जाये। अगर तब भी वह व्यक्ति अपना माल नहीं ले जाता है, तो उसको आक्शन कर दिया जायेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे व्यापार के खिलाफ कुछ और सजा का प्रावधान भी होना चाहिये; ताकि वह आगे इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न कर सके।

मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने यह बिल लाकर ठीक किया है। लेकिन हमने देखा है कि अच्छे-अच्छे कानूनों का कार्यान्वयन ठीक प्रकार से नही हो पाता है। इसलिये अगर इस विधेयक को कार्यान्वित करने वाली मशीनरी ठीक रहेगी, तो इसका मकसद पूरा हो सकेगा, वरना यह कानून केवल किताब में ही रहेगा, और बड़े-बड़े शहरो में चीजों के भाव बढ़ते रहेंगे, पूजा और होली आदि त्यौहारों के अवसर पर चीजों की कमी हो जायेगी और आम जनता मंहगाई से पिसती रहेगी।

अन्त में मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस कार्य की जवाब देही ईमानदार अफसरों पर डाली, जाये, ताकि वे इसको मुस्तदी के साथ पूरा करें।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले के मैं इस विधेयक का समर्थन करूं, मैं अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूं कि मैं पूज्य रेलवे मंत्री महोदय और उनके द्वारा संचालित रेलवे के विलक्षण कार्य की तारीफ करूं।

मुझे आशा थी कि पंडित जी अपने इस विधेयक को उसी भाषा में ही हाउस मे पेश करेंगे, जिसमे उनकी बराबर अभिरुचि रही है।

रेलवे कानून 1890 मे बना था। उसको अब 100 बरस पूरे होने को आ गये हैं। ये सारे नियम और कानून पुराने हैं उस जमाने के हैं, जिसकी चर्चा भी अब बेकार है। इस बात की आवश्यकता है कि नये सिरे से इन नियमो का पुनरावलोकन किया जाये और नये नियम बनाये जाये जिससे मुसाफिरो, आम जनता और सरकारी अधिकारियो को भी सहूलियत हो। सरकरी अधिकारियो से मेरी कोई दुश्मनी या झगडा नही है। आवश्यकता इस बात की है कि सब को उचित हक मिले और सुन्दर ढग मे कार्य सचालन हो। मुझे उम्मीद है कि पंडित जी के समय मे यह होकर रहेगा और यह शीघ्र होगा।

पंडित जी ने यह विधेयक लाकर अपनी बुद्धिमता का परिचय दिया है। अगर यह विधेयक और कुछ पहले लाया जाता तो रेलवे मे अब तक जो घाटा हुआ है, वह न होता और रेलवे नफे मे रहती, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। वह आज लाया गया है तो भी ठीक है।

आम होता यह है कि रेलवे कर्मचारियो और व्यवसायियो मे अनुचित सम्बन्ध रहता है, लेन-देन का सम्बन्ध रहता है, जिसके आधार पर व्यवसायी अपने माल को स्टेशन पर पड़ा रहने देते हैं और उसकी डिलीवरी नही लेते हैं, जिसके कारण माल का स्टाक जमा हो जाता है। स्टेशन पर इतनी जगह नहीं होती है और न ही सरकार के पास इतने वैगन्स हैं। इसका सबसे बुरा असर मार्केट पर पड़ता है। इसका भुक्तभोगी आम जनता को होना पड़ता है। बाजार में चीजो का अभाव हो जाता है और जब उनके दाम बढ़ जाते हैं, तो व्यापारी जल्दी से अपना माल छुड़ा कर पैसा बटोरने मे लग जाते हैं। इस विधेयक में कहा गया है कि जो माल 7 दिन मे नही छुडाया जायेगा, उसको नीलाम कर दिया जायेगा लेकिन व्यवसायी का भी कोई कसूर नही है। हम उनको सूचित करेंगे अगर उन को ठीक समय पर सूचना नही मिली लेकिन नीलाम की डेट के पहले वह आ जाते हैं तो रेट के हिसाब से धन दे कर और जितना रेलवे को घाटा हुआ है वह सारा घाटा दे कर वह माल लेना चहते है तो उन्हें उस माल को देने मे रेलवे को कोई आपत्ति नही होगी।

इस विधेयक मे नियम है कि अगर कोई सामान नीलाम होने को है और उस की जरूरत केन्द्रीय सरकार को है तो केन्द्रीय सरकार उस को लेने की पूर्ण हकदार है। अगर वह स्टेशन जिस स्टेट मे पडता है उस स्टेट को उसकी जरूरत है तो वह भी उसे लेने का हकदार है। किन्तु यदि विवाद इस सबंध मे उठता है, केन्द्रीय सरकार और प्रदेश सरकार दोनो ही उस को लेना चाहती है तो इस मे ऐसा प्रावधान है कि पहले जिस की मांग आएगी उस को ही सामान दिया जायगा। मैं इसे भी बडा ही न्यायोचित और ठीक मानता हू।

रेलवे के सबंध मे अब हम बात करें तो हमे हमेशा ही सोचना होगा कि यह राष्ट्र की सम्पत्ति है और इस को रक्षा हमारी अपनी रक्षा है। इसीलिए अगर रेलवे के संचालन में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो हम केवल रेलवे को दोष देकर ही संतुष्ट न हों

पायें, मैं समझता हूं इसके लिए हमें प्रयास करना होगा और ऐसा प्रयत्न करना होगा कि हम उसको रोक सकें और रेलवे के स्वस्थ संचालन में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकें ।

लेकिन एक चीज है । माल जिस स्टेशन से बुक हो वहां से जिस स्टेशन पर उसे आना है वहां अगर वह समय पर नही आया या सम्बद्ध व्यवसायी को इस की जानकारी नही दी गई तो उस का दोषी कौन होगा ? अगर रेलवे दोषी है तो रेलवे को भी उस दोष का दण्ड भोगना होगा । किस के कारण वह माल समय पर नही पहुंचा, इस का पता लगाना होगा और मैं समझता हूं कि ईमानदारी का तकाजा है कि अगर व्यवसायी का दोष नही है तो हम व्यवसायी को दोषी घोषित न करें न उसे दण्डित करें । बल्कि जो दोषी है उसको दण्डित करें । इतना ही नही विलम्ब से माल पहुंचने के कारण जो उसको नुकसान होता है रेलवे को चाहिये कि उस का वह कम्पेन्सेशन भी दे ।

अभी यह विधेयक देश के सभी स्टेशनों पर लागू नही हुआ है । केवल 11 स्टेशनों पर ही लागू हुआ है । यह सिर्फ 56 ए मे बी, सी, डी, ई को ही जोडा गया है इसलिए कि इसकी जाच हो सके कि वहाँ ट्रैफिक और स्टोरेज की क्या कैपेसिटी है, माल जो आया है वह कैसा माल है, वह क्या एसेंशियल कमोडिटी की चीज है या नही, उस माल को स्टेशन मे रखने से हमे कितना घाटा हो सकता है, कितने वैगन हमारे उस मे रुके पड़े रहेंगे ये तमाम चीजे जिस मे देखी जा सकें ।

वैगंस के संबंध में एक बात और मैं कहूंगा । पहले 25 वर्षों से वैगन्स के अंब उन की संख्या घट गई है । मैं नहीं जानता इस का क्या कारण हो सकता है । यह मैं जानना चाहूंगा ऐसा क्यों हुआ है ?

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस विधेयक का लक्ष्य है कि समय समय पर ऐसा कानून बनाया जाय जिस से इस के कार्य संचालन मे मदद हो । तो इस का जो मंशा है वह बडा पवित्र है, बडा अच्छा है और अगर यह देर से भी आया तो भी बहुत ठीक समय पर आया है । इस का कार्यान्वियन मुस्तैदी से होना चाहिये । मुस्तैदी से कार्यान्वियन होता नही है । 1972 में इस विधेयक के अलावा और भी विधेयक इस हाउस मे पारित हुए थे लेकिन उन का कार्यान्वियन ठीक से नही हो सका । इसलिए हम जहां थे वहीं रह गए । इस बार ऐसा न हो, कडाई से इस नियम का पालन हो और मुस्तैदी से काम हो तो मैं समझता हूं कि व्यवसायी भी घाटे में नही रहेंगे आम जनता को भी फायदा होगा और रेलवे को तो घाटा होगा ही नही । रेलवे को घाटा न हो यह देखना हमारा प्रधान कर्तव्य होता है क्योंकि रेलवे हमारे राष्ट्र की सबसे बडी सम्पत्ति है और उसका संचालन ठीक से होता है तो मैं तो यह कहूंगा कि देश का संचालन ठीक से होता है, यह मेरा विश्वास है । इस शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री नरसिंह नरायण पांडे : (गोरखपुर) अध्यक्ष महोदय, जो यह संशोधन मंत्री जी ने सदन के सामने रखा है यह सर्वथा उचित संशोधन है । मैं ऐसा मानता हू कि इस संशोधन को लाने की आवश्यकता इसलिए भी थी कि हर साल रेलवे को करोड़ों रुपये का डेमरेज व्यवसायियों को देना पड़ता था और डेमरेज इसलिए भी देना पडता था कि बहुत से व्यवसायी पैरिशेबल और नान-पैरिशेबल गुड्स को गोदामों में ही छोड देते थे और उस के बाद येन केन प्रकारेण उस

[श्री नारायण सिंह पांडे]

पर क्लेम की मांग रेलवे के सामने रखते थे जो करोडो रुपये का क्लेम होता था। आप गरहरा स्टेशन को जानते हैं जो आप के बिहार मे पडता है और इसी तरह से मोगलसराय स्टेशन जहा पर कि ट्रांशिपमेंट होता है एन ई आर और एन आर का ये बहुत बडे क्लेम के सेंटर बन गए थे। अनक्लेम्ड गुड्स जान-बूझकर व्यवसायी वहा लाक कर रखते थे। कम रुपये का सामान भजते थे और इस बात की माग करते थे कि हमारा सामान इतने रुपये का है। वह माल सड जाता था, जनता के काम नही आता था और इस तरह से जनता की जरुरत का सामान जनता के बीच मे वितरण नही हो पाता था जिस से एक बनावटी तरीके से हमारे देश मे एक एसी स्थिति पैदा होती थी जिसमे दाम उत्तरोत्तर बढने आते थे। इन तमाम चीजो को रोकने के लिए यह जो अमेंडमेंट लाया गया है यह बहुत ही मुनासिब अमेंडमेंट है और इसमे मैं समझता हू विशेष किसी चर्चा की तो जरूरत नही। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हू कि क्लेम के डिस्पोजल का जो सवाल होता था आज भी जो आप के मंत्रालय के सामने करोडो रुपये के रूप मे होगा उसमे आप के अधिकारी और वे व्यवसायी जैसा माननीय सदस्य ने अभी कहा आपस मे गठजोड कर लेते थे। कुछ दिन पहले के भूतपूर्व रेलमंत्री जब ललित बाबू थे तो मैं ने इसी तरह के मामले को उन के सामने रखा था जिस मे कि व्यवसायी ने बिना किसी पैसे के गुड्स क्लर्क से मिल कर के करोडो रुपये के सामान की बिल्टी आर० आर० बनवा कर भेज दिया और बाद मे पता चला कि यह सामान कही है ही नही ? कही एग्जिस्टस मे ही वह सामान नही था। इस तरह से एक रैकेट रेलवे मे चला करता था। मैं समझता हू कि इन तमाम चीजो के ऊपर रोक लगा दी गई है और ऐसे व्यवसायी जो राष्ट्रद्रोह का काम करते थे, जो राष्ट्र मे ऐसी परिस्थिति पैदा करते थे जिस से सामानों को एक जगह से दूसरी जगह न पहुचाया जा सके, एक जगह स्टोरेज किया जाय और ऐसा कर के एक कृत्रिम अभाव की स्थिति पैदा की जाय माननीय मंत्री जी ने इस संशोधन को लाकर के उस परिस्थिति को दूर करने की चेष्टा इस आपातकालीन स्थिति मे की है जिस से मैं ऐसा मानता हू कि आज की इस देश की परिस्थिति मे उन्होने एक बडा भारी योग-दान दिया है।

रेलवे ऐक्ट जो है यह बडा पुराना ऐक्ट बना हुआ है। आज तक उस ऐक्ट मे किसी तरह का संशोधन नही रखा गया। रेलवे बोर्ड बना हुआ है। आज यह बात साफ तरीके से सब के सामने जाहिर आती है कि रेलवे बोर्ड जो है वह मंत्रालय के भी ऊपर है। जो पुराने कानून ब्रिटिश काल मे बनाए गए थे बल्कि मैं तो ऐसा मानता हू कि ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय के बने हुए कानून अभी तक चले आ रहे है, अगर उन कानूनो मे संशोधन नही किया गया, रेलवे मंत्रालय को एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप मे कार्य करने के लिए उसे प्रभावित नही किया गया, कानून की रूपरेखा मे आमूलचूल परिवर्तन नही किया गया तो जो प्रगति हम करना चाहते है उस को करने मे और जो मान्यताएं आप ने स्थापित की हैं उन को प्राप्त करने मे दिक्कत और कठिनाई पडेगी मैं माननीय मंत्री जी यह अपेक्षा करता हू कि निकट भविष्य मे उन पुराने कानूनो मे संशोधन लाएंगे जिस के द्वारा रेलवे बोर्ड को जो शक्ति मिली हुई है उस शक्ति को रेल मंत्रालय के अंदर निहित किया जाय और रेल मंत्री उस के ऊपर सब से ऊंचा अधिकारी हो जो उस के कार्य के संचालन मे ठीक तरह से अपना योगदान दे सके। इस संबंध मे आप ऐसा कोई विधेयक ले आएगे ऐसी हम आशा करते हैं। इन शब्दो के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं

और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हू कि यह विधेयक ला कर उन्होंने बडा अच्छा काम किया है।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) यह जो बिल यहा पर लाया गया है उसका मै समर्थन करता हू। अच्छा होता अगर बहुत दिनो पहले ही यह आ गया होता और आज रेलवे की इनकम मे जो घाटा पडता है वह वह भी पूरा हो सकता था। इसमे क्षोभ की यह बात जरूर है कि इसको केवल 14 स्टेशन्स पर ही लागू किया गया है। मैं समझता हू जितने भी बडे बडे स्टेशन है सभी डिवीजनो मे सभी जगह इसको लागू करना चाहिए क्योकि सिर्फ 14 स्टेशन्स ही नही है जहां पर माल चढता और उतरता है आज तक तो हर डिवीजन मे हर जगह माल चढता और उतरता है। इस कानून को लागू करने से पहले हमे यह भी सोचना पडेगा कि हमारे माल गोदाम कितने लम्बे चौडे और बडे है और वहा पर कितना माल उतारा जा सकता है। क्योकि आज हालत यह है कि माल डिब्बो मे पडा रहता है और डिब्बे साइडिंग मे पडे रहते हैं। इन्डेन्ट लगा होता है लेकिन डिब्बे साइडिंग मे ही पडे रहते हैं। नतीजा होता है माल धीरे धीरे सड जाता है। जब माल सड जाता है तब उसको साईडिंग मे लगा कर माल खाली करने का आर्डर मिलता है। दूसरी तरफ जो व्यापारी होते हैं वह परेशान हो जाते है। और वह चक्कर लगाते रहते है। साईडिंग वाले उनको लेकर बैठे रहते हैं। केला, आम जैसी जो वस्तुये होती हैं, चूकि उस समय गर्मी का सीजन भी होता है इसलिए वह सड जाती है।

अब जो आर्डर दिया जायेगा कि व्यापारी अपना माल उठाकर ले जाये उसके लिए सात दिन कब से गिने जायेगे। माल गोदाम मे उतर जायेगा तब से माने जायेंगे या डिब्बा साईडिंग मे आ जायेगा तब से गिने जायेगें। अब इसमे तीन स्टेजेज होती हैं जिनमे तालमेल किस प्रकार से होगा एक तो कन्ट्रेक्टर के आदमी होते है जोकि डिब्बे को खाली करते है। साइडिंग मे लगाने के लिए हमारे रेलवे के आदमी होते और फिर माल को ले जाने के लिए व्यापारी के आदमी होते हैं। सवाल है तीनो मे तालमेल कैसे बैठेगा। या तो फिर जो लेबर है वह रेलवे की हो जोकि सारे काम को करे। कन्ट्रेक्टर तो उनकी परवाह नही करता है क्योकि उसके पास 10 वैगन लगे रहते है और लेबर थोडी होती है। उसको चार दिन वैगन खाली करने मे ही लग जाते हैं। अगर रेलवे की लेबर हो तो जरूरत पडने पर 8 की जगह 20 लगाये जा सकते है। हमने देखा है अनाज खुले मे पडा रहता है और भीगता सडता रहता है, उनको रखने के लिए गोदाम नही होते है। हम मालिक से कह सकते है कि सात दिन मे माल उठाओ, उस पर हम जुर्माना कर सकते सकते है लेकिन माल खाली करने के लिए गोदाम मे जगह नही होती है। जब तक जगह होती है तब तक माल डिब्बो मे ही ही पडा रहता है। तो सात दिन का समय कब से लागू होगा यह इसमे साफ साफ बताया जाता। मालिक को कब इन्डेन्ट दे, कब से खाली करवायें इस चीज को जो वहा के स्थानीय अखबार हैं उनमे निकालना बहुत जरूरी हैं क्योकि इस प्रकार से हर एक व्यापारी को उसका पता चल जायेगा। अगर आपने केवल नोटिसबोर्ड पर ही लगा दिया तो उसका कोई लाभ नही होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी सूचना स्थानीय अखबारो मे जरूर दी जानी चाहिए जिससे कि मालिक को पता पड जाये कि मेरा माल डिब्बे मे पडा है। साथ ही रेलवे की तरफ से भी जल्दी होनी चाहिए ताकि माल जल्दी से जल्दी खाली हो सके। अगर इन सारी चीजो की आप व्यवस्था करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

[श्री ओंकार लाल बेरवा]

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं । हमने अपने यहां देखा है फर्टिलाइजर के डिब्बों में पाडे (भैंसें) भेज दिए जिससे 60 पाडे मर गए । यह बंगाल में कटने के लिए जाते है यह भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जानवरों के लिए जो डिब्बे दे रहे है उनमें फर्टिलाइजर तो नहीं पडा हुआ है । हमारे यहां कापरैन स्टेशन से 14 मील दूर कोटा तक आते आते सभी पाडे मर गए और फिर मालिको से कहते हैं कि तुम देख कर भरते नही । तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और यह चाहता हूं कि आप इस तरह की व्यवस्था करें कि माल ठीक समय से मिले और वह खराब न हो ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, रेलवे के द्वारा माल ढोने का जो काम हो रहा है उसमें सन् 1964 से लेकर आज तक इन 10 सालों में घाटा हो रहा है । व्यापारी ज्यादातर अपना माल ट्रक से उठाते है । आज रेलवे बोर्ड और रेलवे प्रशासन को सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि आज व्यापारी ज्यादातर ट्रक से ही माल उठाना चाहते है, रेल से वह अपना माल उठाना नही चाहते । मेहरबानी करके आप इस बात को सोचें कि आज ऐसा क्यों हो रहा है । रेलवे हर साल कम से कम 15 करोड रुपया कम्पैन्सेशन का देती है — इसका कारण क्या हैं । आप देखें कि रेल से जो माल ढोते हैं उसकी टाइम लिमिट क्या है, निश्चित समय पर ठीक जगह वह पहुंच जायेगा इसकी आप क्या गारन्टी देते है ? अगर व्यापारी ट्रक से अपना माल चढ़ाते हैं तो उनका माल ठीक समय से पहुंच जाता है लेकिन दूसरी तरफ रेलवे से चढाया हुआ माल ठीक जगह और ठीक समय पहुंच जायेगा, इसकी गारन्टी कौन देगा ?

दूसरी बात यह है कि जो आपकी इन्वायस होती है उसमें लिखा रहता है "सेड टु कन्टेन" यानी आप नहीं कहते कि इसमें यहां माल है जिसकी आप जिम्मेदारी लेते हैं । मतलब यह है कि आप नहीं जानते कि उसके अन्दर क्या है । इसलिए आप देखें कि सारी स्कीम कहां फेल होती है ।

"Loading and unloading will be done by the owner himself."

जब आपकी इन्वायस पर यह लिखा रहता है तो आप लोडिंग करें या अनलोडिंग करें, आपके लेबर के द्वारा वह काम होना चाहिए । आप इस तरह का कानून बनाते हैं लेकिन जब हम लोग अपना माल रेल से ढोना चाहते हैं तो उनकी कोई सेफ्टी नही होती और ठीक समय पर माल पहुंचता नहीं । इन कानून को बनाने की जरुरत ही क्या पड़ी, यह काम तो रूल्स से भी हो सकता था । इसके लिए तो आपके पास प्राविजन था, कानून बनाने की जरूरत ही नही थी । आसानी से यह काम हो सकता था । 82(जे) इस प्रकार से है

"The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the objects of Section 82-J and 82-H.

54 में भी आपको पावर्स है :

"Subject to the control of the Railway administration which may impose conditions not inconsistent with this Act and any general rules framed therein with respect to the receiving, forwarding and delivering of any animal or goods."

मैं अभी तक नही समझ पाया, मान लीजिए बडी जोरों की बरसात आ रही है, आपने सात दिन की नोटिस दे दी लेकिन बरसात इतनी आ रही है कि सात दिन में माल उठाने वाला माल उठा नही सकता है तो आपके रुल्स रिलैक्स होगे या नही ? या फिर आपकी इन्वायस किसी आदमी के पास दस दिन के बाद पहुंचती है तब वह क्या करेगा ? तो इसके लिए आप रूल्स बना सकते हैं, कानून बनाना एक अलग चीज है । रूल्स बनाने से ही आपका काम चल जाता । लेकिन आपने अपनी कमजोरी छिपाने के लिए क्योंकि

कर्मचारियान बरावर देते हैं, चोरियां बराबर होती हैं; आपने कर दिया कि सात दिन में माल उठ जायेगा । रेल के कर्मचारी खुद भ्रष्ट होते हैं नहीं तो कानून तोडने का सवाल ही क्या है । 56 (इ) मे लिखा है

"The factors to which Central Government shall have regard under clause (e) of the first provision of Section 2, the form and manner in which the application may be submitted."

अब आपके सौ नियम और बनेगें । अच्छा राज्य प्रशासन वह है जो कम से कम कानून बनाता है । या तो फिर जैसा मिश्रा जी ने कहा पुराने कानून को आपके होते हुए ही बदल दिया जाये । अब तो मोहम्मद शफी कुरेसी और बूटासिह साहब आप के साथ हैं—इन को कहे कि पुराने कानून और रेलवे बोर्ड को गगा जो भेजे और नया कानून बना कर यहा लायें । इस कानून का इम्पलीमन्टेशन तो आप पहल हो कर सकते थे, इसी लिए मैं ने यह प्रार्थना की है ।

श्री मुहम्मद इस्माइल : (बैरकपुर) आप जो बिल लाये हैं कि सात दिन तक अगर कोई माल न ले जाय तो उस का माल नीलाम कर दिया जाय, इस की कोई मुखालिफत करने की जरुरत नही है, हम इस का समर्थन करते हैं । लेकिन एक बात को तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हू ,अभी हमारे दूसरे साथियों ने भी उसके के बारे में जिक्र किया है रेलवे का जो एक्ट है, वह बहुत पुराना है, ब्रिटिश जमाने का है । अंग्रेजो को यहा से गये हुए तकरीबन तीस साल होने को आ रहे हैं, लेकिन उन की बनाया हुआ कानून अभी तक चालू है, उस मे हालात के मुताबिक कोई तबदीली नहीं हो आई है ।

एक दूसरी चीज में वह अर्ज करना चाहता हू कि आज हमारे रेलवे मे पिलफरेज बहुत होता है, चीजें चोरी जाती हैं; 15 से 20 करोड़ रुपये का नुकसान हर साल होता है । हमारे पास पुलिस फोर्स हैं, फिर भी यह कम नहीं होता है—इस का कोई हल आज तक नही निकला है । बहुत सी जगहों पर तो पिलफरेज ओपन तौर से होता है और रेलवे कुछ नही कर सकती । हमारे दमदम के इलाके मे नवापाडा जगह है, जहा यह काम खुले तौर से होता है मुझसे पहले जो एम०पी० थे उन्होंने और बाद मे मैंने कई दफा रेल मत्रालय को लिख कर भेजा ,वहा के लोगो ने दस्तखत कर के अपनी अर्जी भेजी कि वहा पर हाल्ट स्टेशन बना दिया जाय, कालोनी है, इस से जो पिलफरेज होता है, वह रुकेगा और लोगो को आसानी होगी—लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई । इस तरफ आपको तवज्जह देनी चाहिए ।

आप सात दिनो मे माल को नीलाम करने जा रहे हैं—यह ठीक है, लेकिन एक बात आप को ख्याल मे रखनी होगी—जो स्माल इण्डस्ट्रीज के लोग है, मीडियम इण्डस्ट्रीज के लोग हैं—उन की दिक्कतों को भी अपने सामने रखना होगा । कई बार ऐसा होता है कि वेगन पहुच जाती है, लेकिन बिल्टी नही पहुचती—ऐसी सूरत मे अगर माल सात दिन मे नीलाम कर दिया जायेगा तो इन छोटे लोगो को बहुत दिक्कत होगी । इस के बारे मे आप को सोचना चाहिए । आप को ऐसी हिदायत देनी चाहिए कि इस किस्म की दिक्कतो के बारे मे देख लिया जाय । बाज दफा ऐसा भी होता है कि वेगन अपनी जगह पर न पहुच कर डाइवर्ट हो जाती है, अपनी जगह पर बहुत अर्से तक नही पहुचती और व्यापारी बिल्टी लिए हुए चक्कर लगाते रहते है । इस के बारे मे भी आप को सोचना होगा ।

पैसेन्जर अमेनिटीज के बारे में, जैसा दूसरे मेम्बर साहबान भी बोले हैं, इस मे शक नही कि पंडित जी के आने के बाद कुछ फर्क जरुर पड़ा है, मैं भी इसका एतराफ करता हु, लेकिन आज भी गाडियो मे पानी नही मिलता बत्ती नही होती, लोगों डब्बे मे बैठे हुए सफर

[श्री मुहम्मद इस्माइल]

करते हैं, कोई किसी के सिर पर पैर रखता है, कोई देखने वाला नहीं है . . .

अध्यक्ष महोदय : इस बिल में अमेनिटीज की बात नही है, इस को इम में मत लाइये, उस के लिए दूमरे मौके आयेंगे ।

श्री मुहम्मद इस्माइल : एक बात मुझ यह कहना है कि आप इस को 14 जगहों पर कर रहे हैं—ऐसा क्यों ? इस को ज्यादा जगहों पर करना चाहिए । मै छोटी इण्डस्ट्री और मीडियम इण्डस्ट्री वालों की बात फिर कह रहा हूं ,ऐसा न हो कि सब पर एक-सा स्टीम रोलर चला दिया जाय, कभी कभी उन का बैंक से रुपया नही मिलता है, रुपये के लिए अर्जी देते हैं, मन्जूर होने में देर लग जाती है, जब मन्जूर होता है तब बिल्टी छुड़वाकर लाते हैं—एसे लोगों का आप को ख्याल रखना चाहिए ।

शिपिंग के बारे में भी मुझे अर्ज करना है—पोर्टस पर करोड़ों रुपये का माल गोदामों में जमा रहत है, वैगन्स नहीं मिलती है—इस तरफ भी आप को ध्यान देना चाहिए ।

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं श्री मुहम्मद शफी कुरेशी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं— जिन्होंने इस चीज को पकड़ा और इस के बारे में कार्यवाही करने का एलान किया, अखबारों में सुर्खियां आईं कि इस के बारे में कानून लाया जायेगा, जिस से कि सात दिन से ज्यादा वह समान वहा न रहे। उस के बाद बधाई के पात्र हमारे पंडित जी हैं—क्योंकि उनके आने के बाद रेलवे मिनिस्टरी में एक जान आ गई है। हमारे कुछ मेम्बरों ने कहा कि सात दिन बहुत कम हैं कभी ऐसी दिक्कत पेश हो जाय कि उठाने के साधन न हों, तब क्या होगा ? किसी ने कहा कि बारिश हो जाये तो क्या होगा ? मैं कहता हूं कि कोई दिक्कत नहीं आयेगी। आज तक का रिकार्ड यह रहा है कि लोग जानबूझ कर वहां माल रखते थे, डेमरेज देना कुबूल करते थे, लेकिन अनलोड करना कुबूल नहीं करते थे, वे दामों के बढ़ने का इन्तजार करते रहते थे। ऐसी चीजें जो पेरिशबिल नही होती, जैसे गेहूं, चावल वगैरह—ये एन्टीसोशल एलीमेन्टस, माल आने पर बाजार के भाव देखते थे, बाजार में माल की शार्टेज पैदा करते थे और भावों के ऊंचा होने पर माल छुडा कर लाते थे। वरना माल अनलोड करने में कोई दिक्कत नही है, मैंने खुद देखा है, कानपुर मे केले की गाड़ी एक घन्टे में अनलोड हो जाती है। इसलिये मेरा कहना है कि जो कानून बनाया जाय उस का सही तरीके से इम्प्लीमेन्टेशन होना चाहिये। उस मे भ्रष्टाचार न फैलने पाये, कुछ तो होता ही है, लेकिन इतना नहीं कि कानून का असल मकसद ही खत्म हो जाये।

इन शब्दों के साथ मैं दोबारा दोनों मिनिस्टरों को धन्यवाद देते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी : : मान्यवर, यह विधेयक जो यहां पर लाया गया है, वह इस सदन और दूसरे सदन की मांग पर लाया गया है। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा, इस विषय पर इस सदन मे कई बार चर्चा हुई है कि जो माल आता है, अनलोड नहीं किया जाता है, वैगन्स को फंसाये रखा जाता है, माल गोदामों में कंजेशन हो जाता है, सामान भर जाता है, कोई ऐसा इंतजाम रेलवे क्यों नहीं करती जिस से यह माल जल्दी से उतारा जाये और वैगन्स खाली हों और माल गोदाम भी खाली हो। मैं कृतज्ञ हूं माननीय बनर्जी का कि उन्होंने इस का स्मरण कराया कि हमारे साथी कुरेशी जी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि हम इस बात की कोशिश करेंगे कि 7 दिन के अन्दर यह माल हट जाय। इसी सदन में उन्हों ने यह आश्वासन दिया था सम्भवतः और उसी आश्वासन की बुनियाद पर इस

बिल को लायें। इमरजेंसी के वक्त में खास तौर से इस की जरूरत महसूस हुई। जैसा आप जानते हैं रेलवे बजट अभी आयेगा महीने, सवा महीने के भीतर और अलग से उस पर बहस भी होगी और फिर बहुत सी बात माननीय सदस्य सुझावों के रूप में करेंगे और जिन्हें हम नोट करेंगे तथा कार्यान्वित करने की कोशिश भी करेंगे, और उन से हमारा फ़ायदा भी होगा।

यह बिल तो ऐसा है कि इस का बड़ा छोटा सा दायरा है और वह यह कि जो माल लोड किया गया और वैगन में भरा हुआ है अनलोड नही किया जा रहा है, या माल उतार कर गोदाम में रख दिया गया और वहां से उसे नही हटा रहे हैं, तो यह जो हमारे पास वैगन्स की और जगह की कमी हो जाती है, बहुत सा माल रुक जाने की वजह से कंजेशन पैदा हो जाता है, इस को किस तरह से रोका जाय। क्यों कि बहुत से व्यापारी हमारे वैगन्स को अपने गोदाम की तरह से इस्तेमाल करते हैं और वैगन का फ़ायदा उठाते है और हमारे मालगोदाम का भी। वही सामान पड़ा रहता है और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि उन्हो ने डैमरेज दे दिया और बाहर माल उतारने के बाद वारफेज आदि भी दे दिये, फिर भी माल उठाया नही इसलिये कि बाजार में उन की कीमत बढ गई हैं और जितना उन्होंने दंड दिया है उस से ज्यादा उन्हों ने इस तरीके से फायदा उठाया है। तो इस बात को रोकने के लिये यह बिल है और सशोधन ले आये है 1890 के इंडियन रेलवेज़ ऐक्ट में माननीय मिश्रा जी, डागा जी और इस्माइल साहब भी कह रहे है कि हम इस ऐक्ट को बदले। इस को बदलने की कोशिश हो रही है। हमारे रेलवे विभाग में कुछ कार्यवाही इस पर की जा रही है। यह 100 वर्ष पुराना कानून है, इस को किस तरह आज की जरूरतों के मुताबिक बदला जाय, किस तरह की तबदीली की जाय जिस से हमारा काम सुचारु रूप से चले, यह काम हम कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा ऐक्ट है उसमें कुछ देर लगेगी। इसलिए हम ने इस जरूरी बात के लिए इस विधेयक को अभी यहां पेश किया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : इस की सेन्टेनरी मना कर तब बदला जाया।

श्री कमलापति त्रिपाठी : इस बिल को यदि देखें तो यही है कि 1890 के ऐक्ट का जो सैक्शन 56 (ए) है उस के बाद (बी) (सी) (डी) और (ई) चार धारायें इस में जोड दी गई हैं, कोई खास तबदीली नही की गई है, केवल यह कहा गया है कि हमारे शैड मे माल निकालने के लिए क्या फोरमेलटीज और प्रोसीजर्स होग। तो इस का सभी स्वागत कर रहे हैं।

रेलवे विभाग जिस तरह से काम कर रहा है, उस में जो खामियां हैं उन की तरफ सर्वश्री डागा और इस्माइल साहब ने ध्यान दिलाया है। माननीय पांडे जी ने भी कहा कि रेलवे को बहुत ज्यादा रकम कलैम्स की शक्ल मे देनी पड़ती है, उन को रोकने की कोशिश कीजिए। तो यह जो कमियां है रेलवे विभाग की, मैं समझता हूं कि जो शिकायतें थी माननीय सदस्यों की वह मुनासिब हैं और उन की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा कमियां है। यह बात सही है कि हम ने माल भेज दिया और माल पहुंच गया, इसकी हमे सूचना मिलनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि माल पहले पहुच जाता है और आर० आर० बाद मे पहुंचती है तो कैसे सूचना मिले कसाइनी को। और हम ने 7 दिन के बाद माल नीलाम कर दिया। तो खामख्वाह कसाइनी को घाटा होगा। यह बातें हम देखेंगे।

शास्त्री जी कह रहे थे कि सभी स्टेशनो को नोटिफाई कर दो। 14 जगहे हम ने इसलिए नोटिफाई की हैं कि वहां बहुत ज्यादा टेन्डेंसी वेगन और गोदामों को फंसाये रखने

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

की है उन्हीं स्टेशनों पर हम ने इस को लगाया है। और इस से हमारा फायदा हुआ है। हावड़ा स्टेशन पर 8 वेगन्स कच्चे माल के पड़े हुए थे, कोई पूछने वाला नहीं था। उन को हम ने ऑक्शन किया, और खाली इस कानून के लगा देने से ही हमारे वैगन्स का टर्न ओवर बहुत तेजी से बढ़ा है। दिसम्बर, में 25,000 वेगन्स की लौडिंग हुई है जो आज टाइम रेकार्ड है रेलवे के इतिहास में। तो वेगन्स खाली हुए हैं, उनका टर्न ओवर बढा है, खाली इस कानून के बना देने की वजह से वैगन्स खाली हो रहे हैं और जो वैगन्स की मांग बढ रही है उसे भी हम पूरा कर रहे हैं। तो नोटिफाई करते हैं उन जगहों पर जहां देखते हैं कि यहां माल को रखने की, अनलोडिंग न करने की और गोदामों को फंसाए रखने की लोगों की प्रवृत्ति है, और उस को दूर करें। जहां हम ने नोटिफाई नहीं किया है वहां भी इस का अच्छा असर हुआ है। मैं समझता हूं कि इस से हमारा लाभ हुआ है, और जो तिकड़म की जाती रही है, और षड्यंत्र रचा जाता रहा है उस को रोकने में इस से सहायता मिली है।

जहां तक विभाग की कमजोरियों की बात है और जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उन पर हम विशेष रुप से ध्यान देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को विचारार्थ पेश करता हूं।

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Indian Railways Act, 1890, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration,"

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: We now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

There are Amendments No. 1 and 2 in the name of Shri Ram Avtar Shastri to clause 2. Is he moving the amendments?

SHRI RAM AVTAR SHASTRI: I am not moving the amendments.

MR. SPEAKER: So, I put all the clauses, Enacting Formula and together to the vote of the House.

The question is:

"That Clauses 2, 3 and 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2, 3, and 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI KAMLAPATI TRIPATHI: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: It is 1 O'Clock now. We will take up the next item after lunch. The House stands adjourned to meet again at 2 P.M.

13 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at three minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will now take up the Bonded Labour System (Abolition) Bill. Shri Raghunatha Reddy.